/

ऑन लाईन नं. RCMS 2024/196

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 17/2024

राज्य सरकार जरिये श्री कविता, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज जाति सिंधी निवासी वार्ड नं. 11 अरायण तह. श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए आवश्यक के तहत जब्तशुदा सामग्री कुल 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कॉपियों को राजसात करने बाबत्।

उपस्थित : जिला रसद अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी श्री जितेन्द्र कुमार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 22.11.2024

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.10.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिकी की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ गांव अरायण तह. श्रीकरणपुर में स्थित दुकान पर पहुंचे। मौक पर उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना परिचय श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज जाति सिंधी निवासी वार्ड नं. 11 अरायण तह. श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर बताया। मौके पर श्री जितेन्द्र कुमार की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियां मिली। श्री जितेन्द्र कुमार ने उक्त समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर कोई बिल आदि भी नहीं प्रस्तुत किया। श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान अरायण में करता है। जितेन्द्र कुमार से पेट्रोल को बेचान संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र मांगने पर बताया कि उसके पास ऐसे कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र नहीं है। अतः 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियों को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया। माकै पर जब्त किया गया 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियां को मौके पर ही श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री जलन्धर सिंह जाति जट सिख, उम्र 56 साल निवासी, 33 एफ, ग्राम पंचायत अरायण, मालिक मै. बराड़ किसान सेवा केन्द्र(पैट्रोल पम्प) अरायण, श्रीकरणपुर की सुपुर्दगी में दिया गया।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियां को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल व पेट्रोल का कोई अवैध बेचान नहीं किया जा रहा था। उक्त डीजल व पेट्रोल अप्रार्थी जितेन्द्र कुमार द्वारा अपने कृषि कार्य हेतु खरीद किया हुआ था। गांव के जानकार व्यक्ति द्वारा अपने कृषि कार्य के लिए उधार तेल मांगने पर उसे दे दिया जाता था जिसका हिसाब किताब कापी में लिखा हुआ था। अवैध डीजल का भण्डारान कर अवैध बिक्री का कार्य नहीं किया जाता था। अतः जब्तशुदा 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियां को प्रार्थी को वापिस दिया जाकर उक्त प्रकरण दाखिल दफतर किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 11.10.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ गांव अरायण तह. श्रीकरणपुर में स्थित दुकान पर पहुंचे। मौक पर उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना परिचय श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज जाति सिंधी निवासी वार्ड नं. 11 अरायण तह. श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर बताया। मौके पर श्री जितेन्द्र कुमार की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियां मिली। श्री जितेन्द्र कुमार ने उक्त समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर कोई बिल आदि भी नहीं प्रस्तुत किया। श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल-पेट्रोल का बेचान अरायण में करता है। जितेन्द्र कुमार से पेट्रोल को बेचान संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र मांगने पर बताया कि उसके पास ऐसे कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र नहीं है। अतः 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियों को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया। माकै पर जब्त किया गया 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियां को मौके पर ही श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री जलन्धर सिंह जाति जट सिख, उम्र 56 साल निवासी, 33 एफ, ग्राम पंचायत अरायण, मालिक मै. बराड़ किसान सेवा केन्द्र(पैट्रोल पम्प) अरायण, श्रीकरणपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज ने बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचार करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियों को राजसात किया जाए।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 11.10.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर मय प्रवर्तन स्टॉफ गांव अरायण तह. श्रीकरणपुर में स्थित दुकान पर पहुंचे। मौक पर उक्त दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना परिचय श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज जाति सिंधी निवासी वार्ड नं. 11 अरायण तह. श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर बताया। मौके पर श्री जितेन्द्र कुमार की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियां मिली। श्री जितेन्द्र कुमार ने उक्त समस्त सामग्री स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर कोई बिल आदि भी नहीं प्रस्तुत किया। श्री जितेन्द्र कुमार ने बताया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लाकर डीजल–पेट्रोल का बेचान अरायण में करता है। जितेन्द्र कुमार से पेट्रोल को बेचान संबंधी कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र मांगने पर बताया कि उसके पास ऐसे कोई कागजात/अनुमति/अनुज्ञापत्र नहीं है। अतः 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियों को जरिए फर्द जब्ती जब्त किया गया। माकै पर जब्त किया गया 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियां को मौके पर ही श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री जलन्धर सिंह जाति जट सिख, उम्र 56 साल निवासी, 33 एफ, ग्राम पंचायत अरायण, मालिक मै. बराड़ किसान सेवा केन्द्र(पैट्रोल पम्प) अरायण, श्रीकरणपुर की सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज द्वारा अवैध तरीके से बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल व डीजल का बेचान का कार्य किया जा रहा था। श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज जाति सिंधी निवासी वार्ड नं. 11 अरायण तह. श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर के द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र के पेट्रोल व डीजल बेचान का उक्त कृत्य कर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल(प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 610 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम, 380 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम/कैनी, माप हस्तचलित पम्प 02, 2 कीप, 4 लोहे के माप, 2 हिसाब कापियों को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०) श्रीगंगानगर (राज.)

(रीना)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर